उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड गठित

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए एक निर्णय के आलोक में हाल ही में **उत्तर प्रदेश सरकार** ने **किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन** किया है, जिसके द्वारा किन्नरों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर काम करते हुए नीतिगत एवं संस्थागत सुधारों के लिये सरकार को सुझाव दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश **किन्नर कल्याण बोर्ड कुल 23 सदस्यीय संस्था** है। इसकी संरचना निम्न प्रकार है-
  - अध्यक्ष : समाज कल्याण मंत्री
  - उपाध्यक्ष : मुख्यमंत्री द्वारा नामित किन्नर समुदाय का सदस्य
  - सदस्य सचिव : निदेशक, समाज कल्याण विभाग
  - संयोजक : अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव
  - सदस्य : 5 किन्नर समुदाय के प्रतिनिधि एवं 2 किन्नर समुदाय के लिये कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के प्रतिनिधि
  - पदेन सदस्य : विभिन्न विभागों के सचिव एवं लखनऊ पुलिस आयुक्त
- बोर्ड के **गैर-आधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों** का होगा तथा बोर्ड को **तीन महीने में एक बैठक करना ज़रूरी** होगा।
- इसके अतिरिक्त निदेशक, सामाज कल्याण की अध्यक्षता में एक **किन्नर सहयोग इकाई** गठित की जाएगी, जो किन्नरों का डाटाबेस तैयार करने के साथ-साथ किन्नरों की समस्याओं को हल करने एवं नीतियों के क्रियान्वयन की समय-सीमा संबंधी रिपोर्ट शासन को सौंपने का कार्य करेगी।
- साथ ही प्रत्येक ज़िले में ज़िलाधिकारी की अध्यक्षता में **13 सदस्यीय ज़िला स्तरीय किन्नर सहायता इकाई** का गठन होगा, जिसकी **बैठक प्रत्येक महीने आयोजित** की जाएगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/transgender-welfare-board